दिनांक- 13.03.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड,सहारनपुर पुलिस द्वारा वांछित शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 268 ग्राम अवैध स्मैक (अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 53 लाख रूपये) बरामद-

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.03.2026 को चौकी अम्बेहटा पीर प्रभारी उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना द्वारा मय पुलिस टीम के चैकिंग के दौरान थाना नकुड जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 152/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त ***राशिद पुत्र कमरू निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहानपुर*** *को अम्बेहटापीर गंगोह रोड से ग्राम अम्बेहटी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे 268 ग्राम अवैध स्मैक(जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 53 लाख रूपये) बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 153/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राशिद पुत्र कमरू निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहानपुर

अभियुक्त राशिद का आपराधिक इतिहास-

1. *मु0अ0सं0 132/24 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 152/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 153/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर*

बरामदगी का विवरण -

- *268 ग्राम अवैध स्मैक(अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 53 लाख)*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u> -

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,*
2. *उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,*
3. *है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,*
4. *है0का0 258 अजित मलिक थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,*
5. *का0 1259 विनीत तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 13.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 13.03.2026 को वादी श्री विवेक पुत्र हरपाल सिंह निवास रोशनपुर पेलो थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल HR71E9446 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 39/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ़ श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 12 घण्टे में चैकिंग के दौरान **01 वांछित चोर/अभियुक्त फरमान पुत्र सलीम निवासी बादशाहपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** को हाइवे की रेस्ट एरिया में मजार के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी **मोटरसाइकिल HR71E9446 स्पेलन्डर प्लस** बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फरमान पुत्र सलीम निवासी बादशाहपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

01 मोटरसाइकिल स्पेलन्डर प्लस HR71E9446

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री हिवन सिंह चीमा थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विजय सिंह बिहारीगढ सहारनपुर
4. का0 1377 रवि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर

दिनांक: 13.03.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा नशीली दवाओ की तस्करी/बिक्री के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.01.2026 को वादी उ0नि0 राजकुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर के फर्द बरामदगी के आधार पर नशीली दवाओ के बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 19/26 धारा 8/21/22 एनडीपीएस मे पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक को0देहात श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में ***01 वाछित अभियुक्त सचिन पुत्र बाबूराम निवासी गली न0 03 शाकुम्भरी विहार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर*** *को मढ तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सचिन पुत्र बाबूराम निवासी गली न0 03 शाकुम्भरी विहार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 271/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 देहात
2. मु0अ0स0 189/25 धारा 65(2) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना को0 देहात
3. मु0अ0स0 19/26 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. निरीक्षक श्री संदीप बालियान थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 736 दीपक नागर थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. है0का0 127 विनित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 13.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पटाखा छोडने वाली 02 बुलेट मोटरसाइकिलों को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट मे किया सीज, चालको को चेतावनी देकर परिजनों के सुपुर्द किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे सडक सुरक्षा व यातायात नियमों के अनुपालन में जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है । अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी व पुलिस पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.03.2026 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 02 बुलेट मोटरसाइकिल मोडीफाईड साईलेंसर को मौके पर चैक किया गया तो उक्त दोनो मोटरसाईकल सवार द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नही किया गया। दोनो मोटरसाइकिलों को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट मे विधिक कार्यवाही करते हुए नियमानुसार सीज किया गया । मोटरसाइकिल सवार युवकों को चेतावनी देकर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

बुलेट मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन एवं चालान नम्बर-

1. *बुलेट मो0सा0 एचआर 05 एक्यू 2991 (चालान न0 यूपी 330715260313125705)*
2. *बुलेट मो0सा0 यू0पी0 11 सीए 6052 (चालान न0 यूपी 330715260313125210)*

चैकिंग टीम के सदस्यों के नामः-

1. *उ0नि0 श्री अशोक सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
2. *है0का0 564 नितिन त्यागी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक – 13.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा तंमचा 315 बोर बरामद

*अवगत कराना है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा गश्त व चैकिग के दौरान **01 शातिर अभियुक्त समीर पुत्र साहिद निवासी मौहल्ला बेरियान पठानपुरा थाना देवबन्द सहारनपुर** को मंगलौर रोड पर स्थित शालिनी खुराना के अस्पताल के पीछे नवनिर्मित कॉलोनी के गेट के पास बनी कोठरी कस्बा देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **एक अदद तमंचा तंमचा 315 बोर** बरामद किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवबन्द पर **मु0अ0स0-181/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** में पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

समीर पुत्र साहिद निवासी मौहल्ला बेरियान पठानपुरा थाना देवबन्द सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- *01 अवैध तमंचा .315 बोर*

आपराधिक इतिहासः –

मु0अ0स0-181/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थान देवबन्द

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- *उ0नि0 अजब सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
2- *है0का0 561 शमीम अहमद थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
3- *हे0का0 1216 ब्रहमप्रकाश थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*
4- *का0 16 पवन कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 13.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़ पुलिस का त्वरित एक्शन:- शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 27.02.26 को श्री सुनील कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बंजारेवाला थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड (एनएचआई वर्कर) द्वारा तहरीर दी गयी कि दिल्ली देहरादून हाईव पर लोहे के पुल के समीप ब्रास बैरियर पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक ग्रैफिटी पेंट करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 34/26 धारा 353(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 मोहित कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों का गहनता से विश्लेषण किया गया जिसके आधार पर अभियोग में अभियुक्तगण 1. जितेन्द्र राघव पुत्र शेर सिंह राघव नि0 मानव केन्द्र सुभाषनगर थाना क्लेमेनटाउन जनपद देहरादून उत्तराखण्ड, 2. शारदा पत्नी संजय राणा नि0 ग्राम भूपखेडी मुजाहिदपुर थाना रतनपुरी मु0नगर हाल नि0 सुभाषनगर थाना क्लेमेनटाउन जनपद देहरादून उत्तराखण्ड व 3. सुलेखा पुत्री राजेन्द्र नि0 114/3 चन्द्र नगर कोतवाली देहरादून, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड के नाम प्रकाश में आये।

पुलिस कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना में लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ़ श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.03.2026 को थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा ***जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले 03 वांछित अभियुक्तगण 1. जितेन्द्र राघव पुत्र शेर सिंह राघव नि0 मानव केन्द्र सुभाषनगर थाना क्लेमेनटाउन जनपद देहरादून उत्तराखण्ड, 2. सुलेखा पुत्री राजेन्द्र नि0 114/3 चन्द्र नगर कोतवाली देहरादून, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड व 3. शारदा पत्नी संजय राणा निवासी ग्राम भूपखेडी मुजाहिदपुर थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता सुभाषनगर थाना क्लेमेनटाउन जनपद देहरादून उत्तराखण्ड*** *को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में चालानी कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय के समक्ष पेश किया गया, वहाँ से अभियुक्तगण को जिला कारागार सहारनपुर मे न्यायिक हिरासत मे भेज दिया गया है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. जितेन्द्र राघव पुत्र शेर सिंह राघव नि0 मानव केन्द्र सुभाषनगर थाना क्लेमेनटाउन जनपद देहरादून उत्तराखण्ड
2. शारदा पत्नी संजय राणा नि0 ग्राम भूपखेडी मुजाहिदपुर थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर हाल पता सुभाषनगर थाना क्लेमेनटाउन जनपद देहरादून उत्तराखण्ड
3. सुलेखा पुत्री राजेन्द्र नि0 114/3 चन्द्र नगर कोतवाली देहरादून, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 मोहित कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. का0 686 अंकित थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. म0का0 1072 रेनू थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 13.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा मय, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 28.01.2026 को वादी श्री मौ0 इबरार पुत्र मौ0 इकराम निवासी ग्राम भोजवाला थाना बेहट जिला सहारनपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत बाबत अज्ञात अभियुक्तगण तीन लडके नाम पता नामामलूम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के साथ लाठी डण्डो से मारपीट कर गाली गलोच करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0- 45/26 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस बनाम अज्ञात नाम पता नामामलूम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में दृष्टिगत अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0सिह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 13.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर 02 शातिर अभियुक्तगण 1.अनिकेत उर्फ छेरा पुत्र राजपाल निवासी निकट रविदास मंदिर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर 2.नीरज पुत्र सूरजपाल निकट रविदास मंदिर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को मानकमऊ ईदगाह ककरला रोड से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से एक तमंचा .315 बोर मय, एक जिंदा कारतूस .315 बोर मय, एक चाकू नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण 1. अनिकेत उर्फ छेरा 2. नीरज उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0-112/26 धारा 3/4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. *अनिकेत उर्फ छेरा पुत्र राजपाल निवासी निकट रविदास मंदिर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर*
2. *नीरज पुत्र सूरजपाल निकट रविदास मंदिर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर*

बरामदगी का विवरणः-

- *01 तमंचा .315 बोर*
- *01 जिंदा कारतूस .315 बोर*
- *01 चाकू*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. *उ0नि0 कुलवन्त सिंह मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
2. *है0का0 1217 राजेन्द्र सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
3. *का0 234 अरूण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*